



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052020-219503  
CG-DL-E-22052020-219503

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1421]  
No. 1421]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2020/ज्येष्ठ 01, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2020/JYAISHTHA 01, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2020

**का.आ. 1584(अ).**—कृषि अनुसंधान और शिक्षाविभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को, कार्य आबंटन नियमों के भाग III क्र. सं. 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि नीचे दी गई तालिका में स्तंभ (2) में उल्लिखित प्रजातियों के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट कुक्कुट की लाइन्स और स्तंभ (5) में उनके परिग्रहण संख्या की पहचान जनहित में आवश्यक और समीचीन है; यह अधिसूचित करती है कि कुक्कुट की उक्त लाइन स्तंभ (4) में उल्लिखित एजेंसी की अधिसूचित लाइन होंगी, जिसे किस्म के विकास, उपयोग और व्यापार के उद्देश्यों के लिए रखा एवं पाला जाएगा और इस अधिसूचना के भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु पूरे भारत के लिए अधिसूचित लाइन होंगी, अर्थात्: -

तालिका

क्रम संख्या	प्रजाति	लाइन	विकसित करने वाला	परिग्रहण संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मुर्गी	पी डी 1 (वनराजा नर)	भाकृअनुप-कुक्कुट परियोजना निदेशालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	इंडिया_चिकेन_001_पीडी1_13001

2.	मुर्गी	पी डी 2 (वनराजा मादा)	भाकृअनुप-कुक्कुट परियोजना निदेशालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	इंडिया_चिकेन_001_पीडी2_13002
----	--------	--------------------------	---	------------------------------

[फा. सं. D-04/3/2020-IC-I (Pt.II)]

उदय शंकर पांडे, उप सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE**  
**(Department of Agricultural Research and Education)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2020

**S.O. 1584(E).**—In exercise of the powers conferred on Department of Agricultural Research and Education, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India under PART III, Sl. no. 7 of the Allocation of Business Rules, the Central Government hereby decides that it is necessary and expedient in public interest to recognise the lines of poultry specified in column (3) and their Accession Number in column (5) of species mentioned in column (2) of the Table below; it is hereby notified that the said line of poultry shall be the notified line of the agency mentioned in column (4) to be kept and reared for purpose of variety development, utilization and trade; and shall be the notified line for the whole of India for the above purposes with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette of Govt. of India, namely:-

**TABLE**

Serial number	Species	Line	Developed by	Accession Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Chicken	PD1 (Vanraja Male)	ICAR-Directorate of Poultry Research, Hyderabad	INDIA_CHICKEN_001_PD1_13001
2.	Chicken	PD2 (Vanraja Female)	ICAR-Directorate of Poultry Research, Hyderabad	INDIA_CHICKEN_001_PD2_13002

[F. No. D-04/3/2020-IC-I(Pt.II)]

UDAY SHANKER PANDEY, Dy. Secy.